

**भारत सरकार**  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
उच्चतर शिक्षा विभाग  
**लोक सभा**  
अतारांकित प्रश्न सं. 3298  
उत्तर देने की तारीख : 09.12.2019

**यूजीसी और एआईसीटीई**

3298. साध्वी प्रजा सिंह ठाकुर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यूजीसी और एआईसीटीई के अंतर्गत शिक्षक दैनिक मजदूरी और संविदात्मक आधार पर उस वेतन पर कार्य कर रहे हैं जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नियमित स्टाफ के लिए स्वीकृत वेतन से कम है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नियमित कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है और संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या कितनी है;
- (घ) क्या ऐसे शिक्षकों को काम पर रखने से शिक्षा की गुणवत्ता और संस्थाओं की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;
- (च) क्या सरकार को उक्त शिक्षकों और उनके परिवारों को 5/10/15 वर्ष की सेवा के बाद उक्त शिक्षकों को नौकरी से हटाने/उनके बेरोजगार होने के कारण उनके तथा उनके परिवार के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है; और
- (छ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**  
**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (छ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव में हेतु अन्य उपाय संबंधी यूजीसी विनियम, 2018 बनाए हैं, जिसके खंड 13 में प्रावधान है कि संविदा शिक्षकों को दी जाने वाली नियत परिलब्धियां नियमित रूप से नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मासिक सकल वेतन से कम नहीं होनी चाहिए।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कुल संख्या 1416299 है, जिनमें से 90418 अस्थायी और विजिटिंग शिक्षक हैं। श्रेणीवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

चूँकि संकाय की कुल अनुपस्थिति गुणवत्ता पर बड़ी समस्या पैदा करती है, इसलिए नियमित शिक्षक की नियुक्ति तक व्याख्यान देने के अंतराल को पूरा करने के लिए अस्थायी आधार पर शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है।

4 जून, 2019 को लिखे गए अपने पत्र में, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को अपने संकाय के रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है।

\*\*\*\*\*